न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0-658/2019

दाउदनगर थाना कांड संख्याः-257/2019

30.09.2019 आवेदक ट्रक निवंधन संख्या-UP67T1176 का स्वामी राकेश सिंह की ओर से एक आवेदन दिनांक-19.08.2019 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अ0 प0 को दी गई है ।

उपरोक्त आवेदन दिनांक-19.08.2019 के आलोक में आवेदक राकेश सिंह के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त जप्त ट्रक निबंधन सं0-UP67T1176 दाउदनगर थाना द्वारा जप्त कर लिया गया है । वाहन का स्वामी उक्त आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है । अतः आवेदक ट्रक मालिक राकेश सिंह के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय । वाहन की मुक्ति हेतु न्यायालय का जो भी आदेश होगा, आवेदक उसका पालन करेगा ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त ट्रक निबंधन सं0-UP67T1176 दाउदनगर थाना में जप्त है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त वाहन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दर्शित किया गया है कि " उक्त वाहन को मुक्त करने में कोई आपत्ति नही है ।" उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी चन्दौली, उत्तरप्रदेश के द्वारा पत्रांक संख्या-1870/सा0प्र0परि0 दिनांक-18.08.2019 के तहत समर्पित किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का स्वामी राकेश सिंह है । उक्त वाहन का जिला परिवहन पदाधिकारी चन्दौली, उत्तरप्रदेश के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का निबंधन संख्या-UP67T1176, इंजन संख्या-90E62754907, चेसिस संख्या-MAT42603191E11159 है । आवेदक की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज की की मूल प्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, स्कीन प्रतिवेदन प्रतिवेदन के अनुसार ही है । उक्त वाहन का दुरूस्ती की वैधता दिनांक-24.08.2020 तक, कर की वैधता दिनांक-31.12.2019 तक, परमिट की वैधता दिनांक-25.05.2023 तक एवं बीमा की वैधता दिनांकः-29.09.2020 की मध्य रात्रि तक है । आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार उक्त वाहन के सम्बन्ध में अभी तक नही आया है । उक्त वाहन की मूल दस्तावेज मिलान करने के उपरांत, मूल दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदक राकेश सिंह के पक्ष में उक्त जप्त ट्रक निबंधन संख्या-UP67T1176, इंजन संख्या-90E62754907, चेसिस संख्या-MAT42603191E11159 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में आवेदक राकेश सिंह के पक्ष में उक्त ट्रक निबंधन संख्या-UP67T1176 को मो0-15,00,000X1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक, बीमा की प्रति, उक्त वाहन का चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त वाहन का सम्बन्धित कार्यालय द्वारा रोड परमिट की निर्गत प्रति की छायाप्रति जो गजटेड पदाधिकारी/ नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करें । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त वाहन को घटना के समय चालक के रूप में कौन कार्यरत था नाम

लगातार

<u>न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर</u> ।

<u>जी0आर0सं0–658/2019</u>

दाउदनगर थाना कांड संख्याः–257/2019

<u>लगातार</u>

30.09.2019 दर्शित करेगा, वाहन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप–स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं वाहन से सम्बन्ध जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी गोह को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को पंचनामा के तहत मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत, मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।